"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 643] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2014—पौष 3, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–7/18/2011.— यतः प्लास्टिक कैरी बैग, अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान और स्वास्थ्य परिसंकट कारित करते हैं;

और यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 48–क, अन्य बातों के साथ–साथ, परिकल्पित करता है कि राज्य, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और यतः छत्तीसगढ़ शासन की राय है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग, गंभीर क्षति कारित करता है और पर्यावरण एवं मानव के साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

और यतः यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग; गटर, मलनालियों एवं नालियों को भी निरूद्ध करते हैं, परिणामस्वरूप गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं;

और यतः ऐसी समस्या के होने को रोकने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्रों को **"प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र"** के रूप में घोषित करने का विनिश्चय किया है ;

अतएव, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, जो अधिसूचना क्र. एस.ओ. 152 (ई) नई दिल्ली, दिनांक 10–02–1988 द्वारा भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन प्रत्यायोजित की गई है, को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित निर्देश जारी करती

है जिसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:–

निर्देश

1. दिनांक 1 जनवरी, 2015 से छत्तीसगढ़ राज्य में कोई उद्योग, प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण नही करेगा और कोई व्यक्ति, जिसमें कोई दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला या रेहडी वाला आदि सम्मिलित है, माल के प्रदाय के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा तथा कोई व्यक्ति, प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा:

   परन्तु यह कि किसी निर्यात आदेश के विरुद्ध केवल निर्यात हेतु विनिर्मित प्लास्टिक कैरी बैग को प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के नियम 2 के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रयोज्यता से छूट होगी ।

   स्पष्टीकरण– इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शब्द "प्लास्टिक" और "कैरी बैग" का वही अर्थ होगा जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के अंतर्गत परिभाषित हैं। खाद्य सामग्री, दूध की पैकेजिंग और नर्सरी के उन्नत पौधों के लिए प्रयुक्त आधान (कन्टेनर्स), कैरी बैग नहीं माने जायेंगे।

2. यह कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उद्योग और अन्य के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन कार्यवाही करने के लिये निम्नलिखित अधिकारी सशक्त होंगे, अर्थात् :–

   (1) जिला कलेक्टर,

   (2) वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी,

   (3) छत्तीसगढ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी,

   (4) राज्य के स्थानीय नगरीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगरपालिक अधिकारी ।

   स्पष्टीकरण 1– प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के नियम 4 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के संबंध में प्रवर्तन का दायित्व छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल का होगा तथा उक्त नियम के नियम 4 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के संबंध में प्रवर्तन का दायित्व स्थानीय नगरीय निकाय का होगा ।

   स्पष्टीकरण 2– भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन जारी अधिसूचना क. एस.ओ.394 (ई) दिनांक 16–4–1987 में यथा उल्लिखित अधिकारी, इस अधिसूचना में शामिल विषयों के संबंध में शिकायत दर्ज करने हेतु प्राधिकृत होंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 5–7/18/2011.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–7/18/2011, दिनांक 24–12–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 24th December 2014

NOTIFICATION

No. F 5-7/18/2011.— Whereas, plastic carry bags cause short term and long term environmental damage and health hazard;

And Whereas, Article 48-A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

And whereas, the Government of Chhattisgarh is of the opinion that, the use of plastic carry bags is causing grave injury and is detrimental to the environment and the health of human beings as well as animals;

And whereas, it is observed that the plastic carry bags are also causing blockage of gutters, sewers and drains, resulting in serious environmental problems;

And whereas, with a view to prevent the occurrence of such problems, the State Government has decided to declare the entire areas of the State of Chhattisgarh as **'the Plastic Carry Bags Free Area'**;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) as delegated under Section 23 of the said Act by the Central Government vide Notification No. S.O.152 (E) New Delhi, dated 10-2-1988, the State Government, hereby, issues the following direction, the same having been previously published as required by rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

DIRECTION

1. No industry shall manufacture plastic carry bags and no person including a shopkeeper, vendor, wholesaler or retailer, trader, hawker or rehriwala etc. shall use plastic carry bags for supply of goods and no person shall manufacture, store, import, sell or transport plastic carry bags in the State of Chhattisgarh with effect from 1st January, 2015:

   Provided that plastic carry bags manufactured exclusively for export purposes against any export order shall be exempted in terms of rule 2 of the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 from the application of this notification.

   Explanation- For the purpose of this Notification the words 'plastic' and 'carry bags' shall have the same meaning as defined under the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011. The containers used for packaging food material, milk and raising plants in the nurseries shall not be deemed as carry bags.

2. That the following Officers shall be empowered to take action under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 against industries and others, who violates the directions contained in this notification, namely:-

   (1) District Collector,

   (2) Officers of the Commercial Tax Department,

   (3) Regional Officers of the Chhattisgarh State Pollution Control Board,

   (4) All Commissioner/Chief Municipal Officers of Urban Local Bodies of the State.

   Explanation 1- Chhattisgarh Environment Conservation Board shall be responsible for enforcement regarding the functions specified in clause (a) of rule 4 of the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 and the Urban Local Bodies shall be responsible for enforcement regarding the functions specified in clause (b) of rule 4 of the said Rules;

Explanation 2- Officers as mentioned in Government of India"s Notification No. S.O. 394 (E) dated 16-4-1987 issued under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be authorized to file complaints relating to matters included in this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.